

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (क) (1)/(एम-495)/अलेसे-1/1354

दिनांक:- 18/02/22

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 443/2021-22 दिनांक 17.08.2021 के क्रम में श्री मातादीन गुप्ता (लिंग नम्बर 6087), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम, जयपुर से दिनांक 18/02/2022 को मध्याह्न पूर्व एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त आदेश निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, कोष एवं लेखा से अनुमोदित है।



(धीरज सिसोदिया)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक:-एफ.2 (क) (1)/(एम-495)/अलेसे-1/1354

दिनांक:- 18/02/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर।
3. श्री मातादीन गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-प्रबंध निदेशक, राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास निगम, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)